भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2253
दिनांक 01 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

बाल संरक्षण तंत्र

2253. श्री उज्जवल रमण सिंह:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बाल संरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्ड सहित विभिन्न तंत्रों के माध्यम से बाल संरक्षण के उद्देश्य से चलाए जा रहे मिशन वात्सल्य की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) वर्ष 2024 के दौरान बाल संरक्षण में परिवारों और समुदायों को शामिल करने, बच्चों के कल्याण के लिए जागरूकता बढ़ाने और सामुदायिक स्वामित्व को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) वर्ष 2024 के दौरान उक्त मिशन के तहत प्रवासी भारतीयों द्वारा गोद लिए गए बच्चों की संख्या कितनी है ?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करने हेतु केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्व-निर्धारित लागत साझाकरण के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से 'मिशन वात्सल्य' नामक केंद्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें संस्थागत और गैर-संस्थागत दोनों प्रकार की देखभाल सेवाएं शामिल हैं। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत स्थापित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श आदि देकर सहायता करते हैं। गैर-संस्थागत देखभाल के अंतर्गत देखभाल और संरक्षण की

आवश्यकता वाले बच्चों को प्रायोजन, पालन-पोषण देखभाल और पश्चात् देखभाल के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर स्थापित सांविधिक एवं सेवा प्रदायगी संरचनाओं में राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण समिति (एससीपीएस) और राज्य दत्तक- ग्रहण संसाधन एजेंसी (एसएआरए) तथा जिला स्तर पर बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी), किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) और जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) शामिल हैं। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 36 एससीपीएस, 35 एसएआरए, 764 डीसीपीयू, 783 सीडब्ल्यूसी और 773 जेजेबी कार्यशील हैं।

(ख): मिशन वात्सल्य के दिशानिर्देशों में समुदायों के साथ जुड़ाव और उन्हें अपने क्षेत्रों में बच्चों की ज़िम्मेदारी लेने और भलाई करने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। मंत्रालय, मिशन वात्सल्य योजना के कार्यान्वयन के संबंध में समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर संपर्क में रहता है। मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की सलाह जारी की है। योजना के बारे में जागरूकता और बेहतर कार्यान्वयन के लिए हितधारकों हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(ग): वर्ष 2024-25 के दौरान, प्रवासी भारतीयों (ओसीआई कार्डधारक विदेशियों) द्वारा कुल 87 बच्चों को गोद लिया गया था।

*****